बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि. के पत्रांक- 6516 दिनांक- 26.05.2016 के आलोक में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत निगम के गोदामों से फेयर प्राईस डीलर्स के दुकान तक PDS के खाद्यान्न के परिवहन एवं हथालन हेतु परिवहन-सह-आपूर्ति अभिकर्त्ता की नियुक्ति हेतु निविदा का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण में दिनांक- 22.05.2016 को किया गया था। जिसमें 18 निविदा प्राप्त हुए थे। इन 18 में 3 को अयोग्य घोषित पाया गया। 15 निविदादाताओं का वित्तीय भाग खोला गया जिसकी सूची मेरिट एवं वरीयता के क्रमानुसार बनाया गया। क्रमानुसार 1,2,3 निविदा दाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं के तकनीकी कागजातों में कमी पाई गई। परन्तु क्रमांक 3 पर श्री अशोक कुमार सिंह निविदादाता को मनमाने एवं अवैध ढंग से जिला प्रबंधक रा.खा.नि. मोतिहारी द्वारा निविदा से वंचित कर दिया गया।

अतः मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के क्रमांक 3 पर अशोक कुमार सिंह को रा.खा.नि. मोतिहारी D.S.D. परिवहन अभिकर्त्ता हेतु नियुक्त करना चाहती है तथा उपरोक्त नियमों एवं शर्त्तों से हटकर कार्य करने वाले जिला प्रबंधक एवं अन्य पदाधिकारी को दंडित कर कार्रवाई करने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सतीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 56/2017 - 285 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 16.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 08.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

16.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

तत्कालीन बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना द्वारा वर्ष 1963 ई. में पटना शहर के सुलतानगंज थानान्तर्गत 216 सरकारी भवन का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान में डा. अम्बेडकर कॉलनी (पुराना) के नाम से जाना जाता है।

उक्त सरकारी भवन में एवं उसके आस-पास लगभग 5000 (पांच हजार) की संख्या में दलित/ महादलित समुदाय के लोग निवास करते आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त सरकारी भवन की जर्जरता के कारण किसी भी क्षण घटने वाली भीषण घटना एवं उससे उत्पन्न समस्या की भयावहता को देखते हुए तत्कालीन माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा स्वयं उक्त भवन को जर्जर एवं आयोग्य घोषित करते हुए उसमें रह रहे लोगों को हटने के लिए कहा गया था। परंतु संबंधित विभाग एवं पटना जिला प्रशासन की शिथिलता के कारण आज तक उक्त जर्जर एवं अयोग्य घोषित सरकारी भवन में लगभग 5000 (पांच हजार) की संख्या में दलित/ महादलित समुदाय के लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर उक्त भवन में रह रहे हैं। यह काफी चिंता का विषय है।

अत: एक जर्जर एवं अयोग्य घोषित सरकारी भवन में आस-पास रह रहे लगभग 5000 (पांच हजार) की संख्या में दलित/ महादलित समुदाय के लोगों को उनकी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसी अन्यत्र स्थान पर पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए उक्त जर्जर और अयोग्य घोषित सरकारी भवन को शीघ्र ध्वस्त कराकर पुनर्निमाण करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 53/2017 - 275 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 08.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

कावर झील के महत्व को देखते हुए 20 जून, 1989 को सरकार द्वारा इसे पक्षी आश्रयणी स्थल घोषित किया गया। आश्रयणी का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 15780 एकड़ है जिसका बड़ा भू-भाग लगभग 10,000 से ज्यादा एकड़ रैयती है एवं कुछ भाग लगभग 5000 एकड़ गैर मजरूआ भूमि है जिसकी पहचान नहीं की जा सकी है। स्थानीय किसानों के द्वारा इस अधिसूचित भूमि पर दावा/ आपत्ति दायर किया गया। दायर आपत्ति दावा के निपटारे के लिए एवं अधिसूचित क्षेत्र की पहचान के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार ने पूर्व में इस नियमित जारी अधिसूचनाओं को संशोधित करते हुए वर्ष 2009 में अधिसूचना संख्या वन्यप्राणी वन पर्या. 13/2005-2839/प.ब. दिनांक- 27.11.2009 द्वारा अनुमंडलाधिकारी मंझौल को कावर झील पक्षी आश्रयणी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19 से 25 के अधीन कार्रवाई हेतु 'समाहर्ता' की शक्ति प्रदान की है। पक्षी आश्रयणी स्थल की घोषणा के 22 वर्षों के बावजूद एक भी विकास का कार्य नहीं हो सका है। आश्रयणी की अधिसूचना में विसंगतियों के समाधान की कार्रवाई चल रही है इसी बीच जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश पत्रांक- सं.-38/गो. दिनांक- 05.01.2013 को अधिसूचित सम्पूर्ण 15780 भूमि के निबंधन पर रोक लगा दिया जिसके कारण स्थानीय किसान जिसका मालिकाना हक है वो उक्त क्षेत्र की भूमि की खरीद बिक्री नहीं कर पर रहे हैं।

अत: किसानों के दावों/ आपत्तियों का निपटारा के लिए एक समय सीमा तय करने एवं अविलंब निबंधन पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रजनीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 54/2017 - 276 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 08.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिलान्तर्गत मुहल्ला न्यु पुनाईचक, हनुमाननगर स्थित डॉ. सी.पी. ठाकुर पथ के अंतिम छोर पर कई क्विंटल मलवा जमा है। मलवा जमा रहने के कारण प्रदूषण फैल रहा है एवं विषैला सांप कीड़ा निकल रहा है।

अत: उपरोक्त स्थान पर जमा मलवा को उठाने हेतु सदन में संरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- शिवप्रसन्न यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 55/2017 - 277 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 08.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंड अन्तर्गत पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन समुचित ढंग से नहीं होने के कारण मरीजों को आए दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों, ए.एन.एम. तथा जीवन रक्षक दवाओं की समुचित उपलब्धता नहीं होने से इलाज के पूर्व मरीजों की मौत हो जाया करती है। सिविल सर्जन, मधुबनी की माने तो सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की कमी है तथा चिकित्सकों की पदस्थापना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा की जाती है।

अत: मैं सरकार से मधुबनी जिला अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों, ए.एन.एम. तथा जीवन रक्षक दवाओं की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुमन कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 57/2017 - 278 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 08.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।